8

# विद्यालयों में विशेष सप्ताह कैसे मनाएँ?

अपर्णा पाण्डेय*

*विद्यालयों में विशेष सप्ताह के आयोजन की सार्थक पहल कैसे की जाए? किस तरह बच्चों को उनके आस-पास होने वाली बातों की जानकारी प्रभावी तरीके से दी जाए? कैसे किसी विशेष सप्ताह के प्रति बच्चों को जाग्रत करके उन्हें इसके विषय में दिलचस्प तरीके से सूचनाएँ दी जाएँ? पाठ्यपुस्तक की सामग्री के अतिरिक्त भी बहुत-सी चीजें जानने के लिए हैं, वे क्या हैं? इन बातों के प्रति बच्चों को जागरूक करने का दायित्त्व सभी शिक्षकों का है। यह लेख कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब दे रहा है।*

किसी भी विषय के प्रति छात्रों को जागरूक बनाने के लिए शिक्षक और विद्यालय की ख़ास ज़िम्मेदारी मानी जाती है। चाहे वह मूल्यों की शिक्षा की बात हो या नैतिक शिक्षा की। पर्यावरण जागरूकता, स्वच्छता तथा साफ-सफाई की बातें हों या फिर ट्रैफिक नियमों के पालन की बात हो, शिक्षक इन बातों को विद्यालय में कैसे पढ़ाएँ? इसके लिए किसी विषय-विशेषज्ञ की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न उठता है कि जो कुछ भी हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, क्या वह विषय पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित हो तभी पढ़ाया जा सकता है या यूं कहें कि बच्चों को तभी समझ में आता है? वास्तव में ऐसा नहीं होता। जब बहुत रुचिकर साहित्य जैसे-प्रेमचंद की कहानियाँ या शेक्सपियर के नाटक पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित किए जाते हैं तो अध्यापकों को उन्हें पढ़ाना एक भारी ज़िम्मेदारी का काम लगने लगता है, क्योंकि अब तो छात्रों को उसके पैराग्राफ की व्याख्या करनी पड़ती है, पाठ पर आधारित प्रश्नों को याद करना पड़ता है। ऐसे ही सामाजिक विषय चाहे वे पर्यावरण से संबंधित हों या अन्य, ये विषय किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि देश का हर व्यक्ति चाहे वह किसी भी वर्ग या समूह का हो, उससे जुड़ा होता है। जैसे-अगर विद्यालय में भू-जल सप्ताह ही मनाना हो, जैसा

* *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर* (भूगोल), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली-110016

कि जुलाई माह में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विद्यालयों को मनाने का आदेश पारित किया था। विद्यालयों के लिए ज़रूरी है कि इस विषय की गंभीरता को समझें। यह विषय सामाजिक विज्ञान या विशेषकर भूगोल से ही संबंधित नहीं है, भूगोल के शिक्षक को ही इसकी ज़िम्मेदारी नहीं दी जा सकती कि वह इसके बारे में सोचे और क्रियाकलाप का आयोजन करवाए। आवश्यकता इस बात की है कि जो भू-जल पृथ्वी पर विद्यमान है उसकी उपयोगिता और महत्त्व को समझने और समझाने की बातों का दायित्व सभी विषयों के शिक्षकों का हो, चाहे वह शारीरिक शिक्षा के अध्यापक हों या कला के। भू-जल में धीरे-धीरे कमी आती जा रही है उसके जो भी कारण हैं जैसे-बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता वैश्विक तापमान, प्रदूषण आदि। इन सभी पर कक्षा में चर्चा की जानी चाहिए। कक्षा के प्रत्येक छात्र तथा छात्रा को प्रेरित किया जाना चाहिए कि वह अपने घर में उपयोग में आने वाले पानी के स्रोत के बारे में जानकारी एकत्र करे, चाहे वह नगर पालिका द्वारा आने वाला सप्लाई का जल हो या कुएँ अथवा बोरिंग से आने वाला जल। अनेक प्रकार के प्रश्न दिए जा सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर छात्र अपने घर में बड़े-बुज़ुर्गों से या अपने आस-पड़ोस के लोगों से जानकारी एकत्र कर प्राप्त कर सकते हैं। समुदाय द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का यह भी एक तरीका है। जैसे कुआँ कितना पुराना है? कितने फीट गहरा है? कुआँ ढका हुआ है या खुला हुआ है, कुएँ का जल किस-किस कार्य हेतु प्रयोग में लाया जाता है? कुएँ का पानी पहले से सूख गया है या बढ़ा है? कुएँ की सफाई कैसे की जाती है? इसको साफ करने में किन-किन दवाइयों का उपयोग किया जाता है? बच्चे इस तरह का प्रोजेक्ट बहुत उत्साह से करते हैं और कक्षा में आपस की चर्चा भी बहुत ज्ञानवर्धक होती है। ज़्यादातर विद्यालयों में ऐसे दिवस या सप्ताह औपचारिक रूप से मनाए जाते हैं, जिसमें विद्यालय के छात्र/छात्राओं को एक स्थान पर एकत्र कर दिया जाता है। वहाँ शिक्षकों द्वारा पूरी तैयारी के साथ भाषण दिए जाते हैं और उस सभा में खड़े विद्यार्थियों पर इसका कितना असर हो रहा है इसका पता इस बात से चलता है कि उस समय अनुशासन बनाए रखने में माहिर शिक्षक उस भरी सभा में एक-दो विद्यार्थियों का कान पकड़कर उन्हें मंच पर खड़ा कर उन्हें अपमानित करते हैं कि उक्त छात्र न तो सुन रहा था और न दूसरों को सुनने ही दे रहा था। प्रश्न यह है कि क्या शिक्षक ने उस छात्र की परेशानी जानने की कोशिश की कि वह क्यों नहीं सुन रहा था? करीब तीन हजार छात्रों की संख्या वाले विद्यालय में बिना माइक्रोफोन के मंच पर उपस्थित शिक्षक की बात उस तक पहुँच रही थी? क्या कक्षा में किसी भी अध्यापक ने उससे इस विषय पर कोई भी चर्चा की थी? आखिर हमारी अपेक्षा इन अबोध विद्यार्थियों से क्या है? हम उन्हें कैसे ज़िम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं, जबकि हम शिक्षक ही अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाना नहीं जानते। समय-समय पर विभिन्न सप्ताह तथा दिवस जैसे- यातायात सप्ताह, राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए पाक्षिक समारोह, गांधी जयंती

आदि विद्यालयों में मनाए जाने की परंपरा है, जिन्हें शिक्षक अपनी अभिरुचि तथा प्रयत्न द्वारा सार्थक बना सकते हैं। यातायात के नियमों से जुड़ी बातों के विषय में जानकारी देना हर प्रबुद्ध शिक्षक का कर्तव्य है। इसके लिए विद्यालय के नज़दीक के थाने से संपर्क करके वहाँ के थानाध्यक्ष से आग्रह किया जा सकता है कि वह विद्यालय में आकर विद्यार्थियों को इसके संबंध में जानकारी दें। सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत् सभी लोग विद्यार्थियों के लिए कुछ भी करने के लिए सहर्ष तैयार हो जाते हैं। बस पहला कदम विद्यालय को अपनी तरफ से बढ़ाना होता है। पहल तो विद्यालय को ही करनी होती है, जैसे अंग्रेजी पढ़ाने वाला शिक्षक हो या भूगोल पढ़ाने वाला अध्यापक उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह शब्दकोष के सारे शब्द जानता होगा या एटलस में दिए गए विश्व के सारे स्थान, नदी, नाले उसे याद होंगे। उसी प्रकार विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी हमें कहाँ से मिल सकती है, इसके बारे में भी हमें छात्रों को परिचित कराना होता है। यातायात के नियमों से जुड़ी जानकारी ट्रैफिक पुलिस से बेहतर कौन दे सकता है भला। इसके साथ-साथ विद्यार्थियों से यातायात के विभिन्न नियमों को चार्ट पेपर या तख्तियों पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखवा कर पेड़ों पर भी टाँगा जा सकता है, जिससे खेलते-कूदते समय भी विद्यार्थियों की नज़र बार-बार उन तख्तियों पर पड़ती रहे। ऐसा करने से बिना किसी ख़ास परिश्रम के ही यातयात के नियमों को समझने में मदद मिलती है। बच्चों को समूहों में चौराहे पर ले जाकर भी यातायात की व्यवस्था और उसके उल्लंघन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। ख़ास बात यह है कि विद्यालय में इसके लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। हर ज़िम्मेदार शिक्षक से समाज की यही अपेक्षाएँ होती हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा हमें अपने आस-पास के जीवन से संबंधित बातों से जुड़ने की बात करती है। पुस्तकीय ज्ञान जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है वह उपयोगी नहीं होता। वह केवल एक सूचनामात्र होगा और हमें इस सूचना के भँवर से अपनी शिक्षा व्यवस्था को दूर निकालकर जीवन से जोड़ने का प्रयत्न करना होगा।

❑❑❑